

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियों, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 72/22

तारीख दायर 12-4-22

प्रेषित :-

तहसीलदार  
बिजौलियों

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 72/22 ..... प्रथमगढी बाबत।

मांगु पुरी पुत्र गोपाल पुरी जाति गुसाई उम्र वयस्क, निवासी जाडोली, तहसील बिजौलियों  
जिला भीलवाड़ा (राज0)

---प्रार्थी

- वनाम
1. गोपीपुरी पिता टोम्मपुरी जाती गुसाई निवासी-झाडोली,  
तह- बिजौलियों जिला-भीलवाड़ा (राज0)
  2. लाडपुरी पिता केलपुरी जाती गुसाई निवासी-झाडोली,  
तह- बिजौलियों जिला-भीलवाड़ा (राज0)

---विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0 एक्ट

-:आदेश:-

दिनांक

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री मांगु पुरी गुसाई ने जरिये अभिभाषक श्री सुनील बाकलीवाल प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम झाडोली पटवार क्षेत्र सलावटिया, भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 180 आराजी नंबर 681 रकबा 0.3076 हैक्टेयर, आराजी नंबर 682 रकबा 0.0.486 हैक्टेयर, आराजी नंबर 683 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, आराजी नंबर 684 रकबा 0.2104 हैक्टेयर आराजी नंबर 646/672 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 1.6188 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं। अतः प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमावंदी सम्वत 2077 से 2077 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम झाडोली पटवार क्षेत्र सलावटिया, भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 180 आराजी नंबर 681 रकबा 0.3076 हैक्टेयर, आराजी नंबर 682 रकबा 0.0.486 हैक्टेयर, आराजी नंबर 683 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, आराजी नंबर 684 रकबा 0.2104 हैक्टेयर आराजी नंबर 646/672 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 1.6188 हेक्टेयर भूमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि ...../- रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियों  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियों